

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए


27.2.18 मित्रान पेश का अवरकाश दिने 10/3/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप.
अनुपरिषद/ पीजरीन अधिकारी
होने पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपलक्षित आइन्दा
दिनांक 6.3.18 को पेश हो



6.3.18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप.
अनुपरिषद/ पीजरीन अधिकारी
होने पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपलक्षित आइन्दा
दिनांक 12.3.18 को पेश हो



दिलजारी जारी है

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप.
अनुपरिषद/ पीजरीन अधिकारी
होने पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपलक्षित आइन्दा
दिनांक 10/3/18 को पेश हो

10⁰⁵/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
अभियान : न्याय आपके द्वार - 2018 के तहत
कैम्प स्थल अटल सेवा केंद्र चोमपुणेहितम
में पेश हुई। वादी नं. 1 व प्रतिवादी नं. 1
ने राजीनामा पेश किया तथा वकील वादी श्री
पमावता विजाराणियां ने वादी नं. 2 व 4
का राजीनामा स्वीकार किया। वकील वादी
ने पूर्व में मुतासिल राजीनामा दावा डिक्री
क्रामामा जाते का निवेदन किया। वकील
वादी के निवेदन पर श्रुतिधारी तहसीलदार
श्रीमाधोपुर ने अनापत्ति जारी की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट
का अवलोकन किया गया तथा पूर्व में पेशकृत
राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके
अवलोकन से एवं लोक अदालत की भावना

सागरमल

श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर
(जोश नासकम)
हरि सिंह

ले वारीगण का वाद हबीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर हबीकार किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि :-

उद्देश

तन ग्राम प्रतेहिताकाबास प. ह. तपीपल्या तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 208 ता 213 (कवा 7-02) में से वारी नं. 1 को $\frac{1}{36}$ हिस्सा, वारी नं. 2 को $\frac{1}{36}$ हिस्सा, वारी नं. 3 को $\frac{1}{18}$ हिस्सा तथा वारी नं. 4 को $\frac{1}{18}$ हिस्सा का खतैयात काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरों में से प्रतिवारी नं. 1 को $\frac{1}{6}$ हिस्सा में से नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में उमल दफ्तार किया जावे तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फंसल शर्त होकर नम्बर ले कम हो तथा वाद तहसील दारिके दफ्तार हो। निर्णय सजमें आज सुनया गया। 1/5/18



जन्मीरथ शाख
(RAS)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अदालत
अधीकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

वादी
* नाम * श्री राजेश कुमार

बाबत श्री भागीरथ शाख व इतर पीठों

मा नम्बर :- 15/2017

दिनांक :- 10/05/18

कदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामचंद्र बिजायिमाँ

नजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

श्री राम प्रोहिताबास प. ह. तपीपलमा तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 208 ता 213 एका 7.02 है. में से नं. 1 को 1/36 हिस्सा, वारी नं. 2 को 1/36 हिस्सा, वारी नं. 3 को 1/18 तथा वारी नं. 4 को 1/18 हिस्सा का खातेदार कारतकार घोषित किया है तथा उक्त खसत नम्बर में से वारी नं. 1 का 1/6 हिस्सा में ले नाम किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दफ्तद किया

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

दिनांक 10/05/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला(सीकर)

के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्लीडर के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
मिशनर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

✳️ पुत्र चौदाम

② भैरवाम पुत्र चौदाम

③ मदनलाल पुत्र भूटावाम

④ जयवाम पुत्र भूटावाम

समस्त जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमधोपुर
जिला सीकर राज.



- वादी

✳️ पुत्र नाथवठ जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील
श्रीमधोपुर जिला सीकर राज.

② श्रीधारी तहसीलदार श्रीमधोपुर जिला सीकर राज.

- प्रतिवादीगण

10/5/18